

घोटुल : एक आदिवासी लोक-संस्कृति

शंकर मुनि राय

आदिम मानव का समूचा जीवन प्रकृतिमय ही था। उनके जीवन में बनावटीपन प्रायः नहीं के बराबर ही था। लोकजीवन की विशेषता भी यही है। यह वह समय था जब मनुष्य अपने लिए स्वयं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया करता था। वह उसके विकास का प्रथम चरण ही था। आज जिन इलाकों में विकास की गति पिछड़ी हुई है, वहाँ उस पुरानी रीति-रिवाज और व्यवस्था के नमूने कायम हैं। घोटुल आदि मानव के सामाजिक जीवन की एक प्रारंभिक व्यवस्था का नाम है, जिसमें समाज का युवा वर्ग अपने बड़े अनुभवी लोगों के अनुभवों से सीखता था। यहाँ प्रस्तुत है बस्तर इलाके के घोटुल व्यवस्था पर आधारित आदिवासी संस्कृति के लोकजीवन का एक स्वरूप।

दुनिया भर के आदिम जनजातियों में युवक-युवतियों का भावी जीवन उन्नत करने के लिए, उन्हें उचित अवसर दिये जाते हैं। भारतीय आदिम समाज में कुछ ऐसी रीति-नीति और सामाजिक परंपराएँ हैं, जिनमें आदिवासी समाज के युवा वर्ग की झलकियाँ दिखायी पड़ती हैं। घोटुल भी उन्हीं में से एक है। विदेशी विद्वान डॉ. हार्डसन ने इसके बारे में लिखा है—“घोटुल का अर्थ युवा वर्ग का एक साथ समुदाय में रहना है।”¹

प्रमुख नृत्यशास्त्री एमईपील के अनुसार—“घोटुल कुंवारे लड़के-लड़कियों के सोने के लिए विशेष भवन होते हैं।”²

ए.सी. हडन ने इसे ‘कुमारगृह’ कहा, जहाँ उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन यापन करने की शिक्षा मिलती है।³

इसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कुमार-कुमारियाँ यहाँ घोटुल में सोते हैं, घोटुल की देखभाल करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। वहाँ साथियों के लिए पानी लाते, आग जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं और अपने से बड़ों को राम-जुहार (प्रणाम) करते हैं। उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता है, जो उनके साथी उनसे चाहते हैं। ए.सी. राय ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

“घोटुल भोजन खोजने के प्रयोजन के लिए एक कारगर आर्थिक संगठन है।”⁴

यह नवयुवकों को सामाजिक और अन्य कर्तव्यों का प्रशिक्षण देने के लिए एक उपयोगी पाठशाला है। इतना ही नहीं आखेट में सफलता प्राप्त करने के लिए नवयुवकों की सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रकल्पित कर तिलस्मी धार्मिक रीति-रिवाजों की संस्था है।

नृत्यशास्त्री एल्विन के अनुसार—“भारत के आदिवासियों में वैवाहिक जीवन के बाहर भी कामवासना की तृप्ति की जाती है।”⁵

इन आदिवासियों में विवाह के पूर्व यौन-विषयक पवित्रता बनाये रखने पर बहुत जोर नहीं दिया जाता। जैसा कि बस्तर जिले के मुरिया गोंड जनजातियों में गाँव की अविवाहित स्त्री और पुरुष एक ही घर में रात बिताते हैं, जहाँ ये अपनी इच्छानुकूल साथी चुन लेते हैं। ये साथी कभी-कभी या नियमित रूप से बदल लिये जाते हैं और यह क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक ये विवाह करके इस संस्था को नहीं छोड़ देते। इस प्रकार यह संस्था 'घोटुल' कहलाती है। घोटुल में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुष में परस्पर विवाह बहुत कम होते हैं।⁶

मल्स के अनुसार—“आदिम जातियों में वैवाहिक जीवन के पूर्व काम वासना तुष्ट करने की स्वच्छंदता से एक निष्कर्ष निकलता है कि घोटुल का मुख्य उद्देश्य वहाँ मैथुन का नहीं है, अपितु घोटुल का मुख्य आधार आर्थिक सहयोग है। इसी के आधार पर शिकार करना, कृषि करना एवं वन्य उपजों का संग्रह करना है।”⁷

इन सारे तर्कों और विचारों के अनुसार जहाँ घोटुल एक सामाजिक और स्वस्थ कामवासना से संबंधित संस्था है, वहीं इसके बारे में एक मुरिया वृद्ध के भी अपने विचार हैं। “घोटुल हमने इसलिए आरंभ किये थे कि हम अपने बालकों को उचित शिक्षा दे सकें। क्योंकि हम कहाँ तक उनके रोजमर्रे के झगड़ों को निपटाते। हम उनके झगड़ों से त्रस्त हो उठे थे। तंग आ गये थे। परेशान थे। इसलिए हमने घोटुल जैसी संस्था का निर्माण कराया और अपनी संतान से कहा—“जाओ घोटुल में और रात वहीं व्यतीत करो।”⁸

घोटुल : विविध नाम

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समाजों में घोटुल के लिए विविध नाम प्रचलित हैं। जैसे बस्तर के मारिया या मुरिया और गोंड समाज में इसे घोटुल कहा जाता है। असम की गारो, उरांव, नागा और मोटियाओं जनजाति में कुमारगृह प्रचलित है। पूर्वोत्तर भारत के ब्रपुत्र नदी के क्षेत्र में मौरुंगो शब्द प्रचलित है। नागाओं के घोटुल के दो रूप हैं-इखुइंची और इलुइची। ये क्रमशः लड़कों और लड़कियों के घोटुल हैं। हिमालय की भोटिया जनजाति में इसे 'रंगबंग' कहा जाता है। छोटा नागपुर के मुण्डा हो जनजातीय समाज में इसके लिए 'गितिओरा' शब्द प्रचलित है। उड़ीसा की उरांव जनजाति इसे जोख, एरया या धुमकुरिया कहती है, लेकिन अबुझमाड़ के आदिवासी का घोटुल 'कोसघोटुली' कहलाता है। इसमें लड़कियाँ नाच-गान तो करती हैं, पर रात्रि शयन अपने घर में ही करती हैं, जबकि अन्य घोटुल के युवक-युवती रात्रि विश्राम भी वहीं करते हैं।

असम के आओ नागाओं में घोटुल आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के बाद बारह से चौदह वर्ष की आयु वाले लड़कों का एक नया वर्ग मोरुंग (कुमारगृह) में प्रवेश करता है। ये कुमारगृह नोजबरीहोरी (अपरिपक्व दल) कहलाते हैं। इन्हें मोरुंग में सोना पड़ता है और इन्हें बड़े लड़कों की सेवा करनी पड़ती है। तीन वर्ष बाद इनके स्थान पर नये लड़के आ जाते हैं और ये तुरुपबहोरी (परिपक्व दल) में आ जाते हैं। ये लोग मोरुंग में सोना अनिवार्य नहीं समझते। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ये चाहें तो विवाह भी कर सकते हैं। तुरुपबहोरी घोटुल के सदस्यों का यह काम

होता है कि वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। इनका काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुँचाना और गाँव के लिए सामान्य कार्य करना है। तुरुपबहोरी में तीन वर्ष पूरा होने के बाद ये सदस्य चुचेनबहोरी (मोरुंग नेता दल) बन जाते हैं। अब मोरुंग के नेता ही नरमुंडों के शिकार के लिए प्राचीन काल में जाया करते थे।⁹

छोटा नागपुर के ओरांव जनजाति में घोटुल के तीन स्तर हैं। पहला पुनाजोखार, दूसरा मझतुरियाजोखार और तीसरा कोहाजोखार। पहले स्तर के घोटुल में वे युवक युवती प्रवेश करते हैं, जो किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं। ये नवागंतुक कहलाते हैं। यहाँ इन्हें तीन वर्ष तक बड़ों की सेवा-चाकरी करने के बाद दूसरे स्टेज मझतुरियाजोखार में प्रवेश मिलता है। यहाँ ये पुनाजोखार के सदस्यों से काम करवाते हैं और उनकी देख-रेख करते हैं और अपने से बड़ों का अनुसरण करते हैं। कोहाजोखार तीसरे स्तर का घोटुल है। इसमें अधिकतम आयु वर्ग के लोग रहते हैं। कोहाजोखार घोटुल में तीन वर्ष रहने के बाद इसमें प्रवेश मिलता है। इसमें तब तक रहा जाता है, जब तक इनका विवाह नहीं हो जाता है। यहाँ ये सदस्य अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हैं और नीचले समुदाय के लोगों का ख्याल भी रखते हैं।¹⁰

असम की गारो जनजाति में भी घोटुल के दो प्रकार हैं—नोकपन्धे और कुमारगृह। नोकपन्धे में अल्पायु अंग के किशोर प्रवेश लेते हैं। इनकी आयु प्रायः सात साल से कम होती है। इस अवस्था के किशोर घोटुल में ही सोते हैं। कुमारगृह में किशोर आयु वर्ग के सदस्य रहते हैं। असम की 'आओ' जनजाति में लड़कों की भांति लड़कियों का भी एक घोटुल होता है, इसे राशेग नाम से जाना जाता है। यह घोटुल गाँव के बीच में होता है, जहाँ केवल कुंवारी लड़कियाँ ही रात्रि विश्राम करती हैं।

घोटुल की बनावट—घोटुल की बनावट स्थानीय परिवेश के अनुसार होता है। कहीं पर यह गाँव से बाहर तो कहीं गाँव के मध्य में होता है। घोटुल का नक्शा प्रायः वर्गाकार होता है, जिसमें आग जलाने के लिए स्थान सुरक्षित रहता है। घोटुल के कमरों में खिड़की-दरवाजे नहीं होते हैं और यह घास-फूस और लकड़ियों की मदद से बनाया जाता है। घोटुल में युवक-युवती तरह-तरह के किस्से-कहानी और नाच-गाने से मनोरंजन करते हैं।

घोटुल के नियम—भारत में प्रायः सभी जनजातियों के घोटुल नियम एक जैसे ही हैं। बस्तर के घोटुल में सात से सोलह साल के युवक-युवतियाँ ही प्रवेश लेते हैं। बाद में इनका जीवन साथी भी इन्हीं में से चुन लिया जाता है, जो शादी के बंधन में बंधता है। यदि कोई किशोरी घोटुल में ही मातृत्व धारण कर लेती है तो उसके प्रेमी का नाम पूछा जाता है और उससे ही शादी कर दी जाती है।

विवाह के बाद दंपति का घोटुल में प्रवेश वर्जित हो जाता है, लेकिन इन्हें घोटुल के सरदार को वचन देना पड़ता है कि ये भी अपनी संतान को घोटुल में अवश्य भेजेंगे। यदि ब्याहता किशोरी का कोई प्रेमी उस घोटुल में है तो वह उसे हमेशा के लिए भूलने का वचन देती है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे प्रेमी जोड़े दिल से ही एक-दूसरे को भूल जाते हैं। छोटी उम्र के बच्चों को घोटुल में आवश्यक कामकाज करना पड़ता है।

जैसे जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना, संदेशवाहक का काम करना, साफ-सफाई करना और बड़ों का आदर-सत्कार करना आदि।

घोटुल में सरदार का पद बहुत ही सम्मानित माना जाता है। यदि कोई युवक-युवती उसका अपमान करे तो शेष सभी सदस्य उसका सामाजिक बहिष्कार कर विरोध प्रकट करते हैं। इस स्थिति में दोषी को क्षमा याचना के लिए मजबूर किया जाता है। घोटुल का कोई सदस्य यदि किसी प्रकार की चोरी करे तो उसके लिए एक विशेष दंड का विधान है, जिसे दोरीलो सजा कहा जाता है। इस सजा में दोषी को पैरों में एक डंडा फंसा कर जमीन की ओर तब तक झुके रहना पड़ता है, जब तक घोटुल में दो गाने पूरे नहीं हो जाते हैं।

घोटुल में बड़ों के प्रति आदर-भाव का ख्याल रखना सबके लिए जरूरी है। अपने से बड़ों को प्रणाम करना अनिवार्य है। इस नियम को रामजुहार कहा जाता है। घोटुल में यदि कोई युवती घोटुल के किसी युवक से शादी करना चाहे तो वह उसे तंबाकू नहीं बांट सकती। इस प्रथा को छुड़ंगा प्रथा कहा जाता है।

गोदना—घोटुल की माअियारियों का प्रिय आभूषण गोदना है, जिसे गुदना भी कहा जाता है। यह नारी सौन्दर्य का प्राचीन लोकपरक शृंगार है। यद्यपि यह हर जाति-धर्म और संप्रदाय की स्त्री जाति में पुराने जमाने से समान रूप से लोकप्रिय रहा है, किंतु आदिवासी समाज में आज भी यह काफी लोकप्रिय है। गोंड जनजाति के युवक और युवतियाँ दोनों ही गोदना गुदवाते हैं। पर महिलाएँ इसे धार्मिक और सामाजिक मान्यता के रूप में ग्रहण करती हैं। गोदना महिलाओं के लिए स्थायी आभूषण की तरह है। गोदना के चिन्ह आदिवासी समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता के अनुरूप होते हैं। यही कारण है कि गोदने के रूप में बिंदु सांकल, त्रिकोण सांप, सूर्य, चंद्रमा, झूला आदि का अंकन विशेष रूप से किया जाता है। गोंड समाज में बड़ादेव, पदमसिंह देव, कोड़ादेव, सूरजदेव, झूलनदेव, बाघदेवता, और धरती माता के प्रतीक रूप में पूजनीय होते हैं। वनांचल क्षेत्र के आदिवासी अपनी जीवन रक्षा के लिए जिन देवी-देवताओं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का अंकन मुख्य रूप से गोदना के रूप में करते हैं।

गोदना की मान्यता—गोंड जनजाति की मान्यता है कि बालक की जाँघ में गोदना गुदवाने से उसके पैर मजबूत होते हैं। इसी मान्यता के अनुसार गोंड पुरुष अपनी टांग के बाहरी भाग, एड़ी, घुटना और बाहों में भी गोदना गुदवाते हैं। कलाई पर अब प्रायः नाम लिखवाने का प्रचलन हो गया है। गोंड स्त्रियाँ बाहरी अंगों पर बहुत अधिक गोदना आकृतियाँ बनवाती हैं। बाँह, वक्ष, जाँघ, गुप्तांग, कंधा, पाँव, गाल, कनपटी, कलाई आदि पर कलात्मक गोदना गुदवाने की परंपरा आज भी प्रचलन में है। महिलाएँ प्रायः बिंदु वक्र रेखा, जोड़ चिन्ह, मानव, पशु-पक्षी आदि को चित्रित करना पसंद करती हैं। इनके गोदना चिन्हों से यह पता चल जाता है कि प्रतीक रूप में अंकित चिन्ह किस आदिवासी कबीले से संबंधित है। चूल्हे की आकृति लड़कियों के भावी वैवाहिक जीवन का संदर्भ देती है। युवतियाँ नाक पर, कपाल पर घोड़े की नाल की तरह उल्टा चिन्ह गोदवाना पसंद करती हैं। गोंड समाज में मान्यता है कि “कन्या के सिर में पानी पड़ने या मासिक धर्म के पूर्व गोदना गुदवाये जाने से खून नहीं निकलता तथा सिर में पानी पड़ने के पश्चात् गुदवाने से खून अवश्य निकलता है। यह कार्य मायके में ही संपन्न होता है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का घोल बनाकर

पतली सुई से बार-बार चुभाया जाता है। मान्यता है कि गोदना के रूप में मायके के दिये हुए दर्द के सामने ससुराल में कम दुख झेलना पड़े।”¹¹

गोदना से संबंधित गोंडी लोककथा—गोदना की शुरुआत के बारे में तरह-तरह की मान्यताएँ, मिथक और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती जी के साथ किसी भोज समारोह में आमंत्रित थे। उसी आयोजन में गोंडों के भी एक देवता अपनी पत्नी के साथ आमंत्रित थे। वहाँ सभी देवियाँ एक समान ही दिखती थीं। भोज के बाद गोंड देव ने जब अपनी पत्नी के साथ लौटना चाहे तो भूल से पार्वती जी को अपनी पत्नी समझकर उनके कंधे पर हाथ रख दिये। पार्वती जी उनके इस व्यवहार से नाराज हो गयीं। किंतु जब बाद में पता चला कि गोंडदेव ने भूलवश ऐसा किया है, तो उन्होंने सभी देवियों को सलाह दी कि वे अपने शरीर पर अलग-अलग आकृति गोदवा कर अपनी पहचान सुनिश्चित करें। सभी देवियों को पार्वती जी की सलाह अच्छी लगी और वे अपने शरीर पर अपनी इच्छा के अनुसार गोदना गोदवाने चली गयीं। तब से यह परंपरा चल पड़ी है। आत्मा की अमरता में विश्वास करने के कारण यह माना जाता है कि जब आत्मा यमलोक में जाती है तो उससे पृथ्वीलोक की पहचान बताने के लिए कहा जाता है। तब गोदना दिखाकर यह प्रमाणित किया जाता है कि आत्मा यमराज के निर्देशानुसार पृथ्वीलोक देखकर लौटी है। गोदना ही एक ऐसा चिन्ह है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। आदिवासियों में लोकविश्वास है कि गोदना पृथ्वी लोक की अमर संपत्ति है। मृत्यु के बाद आत्मा जब स्वर्गलोक में जाती है, वहाँ गोदने को बेचकर अपना खर्च चलाती है।¹²

गोदना गुदवाते समय महिलाएँ गीत भी गाती हैं। इस गीत से एक तरफ जहाँ ईश्टदेव की आराधना हो जाती है, वहीं मोटियारी की पीड़ा भी कुछ कम हो जाती है। एक गीत इस प्रकार है—

“अरजी विनती माँ हमार

उई दिनो बचन तुम्हार

सुजी का झारा उतार देउ

उ, उ, इ, इ, माँ, आ, आ उतार।”¹³

अर्थात् हे माँ! हमारी विनती सुन लो। उस दिन तुमने वचन दिया था। सुई की जलन उतार दो। हे माँ! हे देवी! दुःखहरणी इसकी पीड़ा दूर करो।

घोटुल के गीत—बस्तर क्षेत्र के घोटुल में प्रचलित कुछ घोटुल गीतों के नमूने यहाँ प्रस्तुत हैं। इनकी भाषा बस्तरिहा अथवा हल्बी है।

करंगदेव देव का गीत—घोटुल के प्रमुख देवता करदेंगल हैं। साल में एक बार इनकी पूजा होती है। इस अवसर पर गाये जाने वाला एक गीत इस प्रकार है—

“दादा ले दादा ले

ओरी-ओरी सिंगार।

बानी-बानी पुंगार

दादा ले दादा ले।”

अर्थात् घोटुल में आज पूजा है, करंगदेव की पूजा है। आओ हम चेलिक शृंगार करें, आओ हम सब मटियारिन शृंगार करें। अपने-अपने गले में माला पहनें।

घोटुल एक सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लोकगीत, लोक नृत्य और लोककथाओं का विशेष महत्व है। विशेषकर रात्रि विश्राम और रात्रि जागरण के अवसर पर इनके माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। कल्पनीय है कि आदिम युग में जब मनुष्य के पास आज की तरह मनोरंजन के साधन नहीं थे, तब वे आपसी दिनचर्या को कथात्मक रूप देकर अपना मन बहलाया करते होंगे। गीत और नृत्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति में ही शामिल है। प्रसन्नता के क्षण में गीत और नृत्य के ताल-स्वर स्वतः अपनी गति पकड़ लेते हैं। घोटुल के आदिवासी युवक भी ऐसा ही करते हैं। सुख-दुख और प्रेम-विरह के क्षण में वे भी ऐसे ही गाते-नाचते हैं। इस प्रसंग में कुछ घोटुल गीत के नमूने यहाँ प्रस्तुत हैं—

प्रेमगीत-घोटुल की मोटियारी अपने प्रेमी को याद करती हुई राग आलापती है—

“पत्तर टोडली कारोरे झाकिली

संगाइली बाटो धाखे, तकला कोल्हे पर लुङ्गी धरली।

कोनी बोट नोई बाखे हाट फिटी गेला हाट।

रे दिन हेला झोंड़ी।

जाग फिटी गेला कांसे, सिरलिंगा, झिरलिंगा राइकेर

खेलाकी टोक सागरी, गाड़ी बाइल पर बेसनी धेइबी

कतक होईबी अला करी।”¹⁴

अर्थात् हे प्रेमी! तेरी याद में मैं पत्ते तोड़कर टोकनी भरती जाती हूँ। सड़क के किनारे, बंडल बना-बना कर रखे हैं और मैं घर की ओर थके चरवाहे की तरह लौट रही हूँ। मैं किसी भी तरह तेरे पास नहीं पहुँच पायी, बाजार छूट गया, आठ दिन से मुलाकात नहीं हुई। साल भर से तेरा स्पर्श नहीं मिला। तब प्रेमी कहता है कि हे प्रेयसी! रात की कौन कहे मैं तो दिन में भी चला आता पर तेरे परिजनों का डर है। तब मोटियारी मजाकिया स्वर में कहती है कि इतना उतावलापन क्यों दिखाते हो? तुम नहीं जानते कि सिरलिंगा, झिरलिंगा, राइकेरा (स्थानीय नाम) तुम्हें मछली पकड़ने वाली बंसी से बैलगाड़ी के बैल की तरह नाथ पहना देंगे।

विछोह गीत—यदि किसी कारण एक मोटियारी का विवाह किसी दूसरे घोटुल के चेलिक से हो जाता है, तो उस अवसर पर गाये गए एक विदाई गीत का एक नमूना इस प्रकार है—

“नियराजोर तोर लयोर रोक हेलो।

जो दिये ओन दोय किति रोय हेलो।

संगी रेजारे तीर लयोर रोय हेलो।

अदेरे राजो पुरी रोय हेलो।

डडेके वर पुंदकी रोय हेलो।”

अर्थात् हे सखी! यहाँ तुम्हारा एक प्रेमी था, जिसे अब तुम छोड़ कर जा रही हो। तुम अब इस घोटुल में मत आना। अभी तुम्हें दुःख जरूर होगा पर जल्द ही पता चलेगा कि वैवाहिक जीवन कितना आनन्ददायी है। तुम जाओ पर अपनी संतान को इस घोटुल में जरूर भेजना।

सारांशतः घोटुल, जनजातीय समुदाय का सामाजिक संगठन है। यह सदियों से चली आ रही एक सामाजिक परंपरा भी है, किंतु युग-परिवेश के साथ इसमें बहुत बदलाव भी आये हैं। आधुनिक विकास की लहर से दूर बसे वनांचली इलाकों के जनजातीय समुदाय में आज भी यह व्यवस्था उनकी सांस्कृतिक इकाई बनी हुई है। जीवन साथी के चयन के लिए घोटुल एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था है।

संदर्भ

- 1-3. साप्ताहिक हिंदुस्तान, 26 मई 1969, दिल्ली
4. वेरियर एल्विन, द मुरियाज एण्ड देयर घोटुल, पृ. 333
5. आदिवासी किशोर-किशोरियों के नाइट क्लब्स, अंग्रेजी में इसे 'डोरमॅटरी' कहा गया है पृष्ठ-64
6. मिल्स आओ नागाज, पृष्ठ-212
7. वेरियर एल्विन, द मुरियाज एण्ड देयर घोटुल, पृष्ठ-333
8. आदिवासी, सूचना प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली सन-1958, पृष्ठ-103
9. मडिया, संपादक-डॉ. चंद्रशेखर गुप्त
10. आदिवासियों के घोटुल, (संपादक) डॉ. चंद्रशेखर गुप्त, प्रकाशक विश्वभारती, नागपुर, तृतीय संस्करण-2010 पृष्ठ-3
11.वही....पृष्ठ-3-4

12. तारकचंद्र दास, सामाजिक संगठन, आदिवासी कल्याण विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली, सन् 1958
13. राय शंकर मुनि, आदिवासी लोकजीवन और संस्कृति, मित्तल एण्ड संस, दिल्ली-2015, पृष्ठ-49
11. ...वही...
14. ...पृष्ठ-49-50

शंकर मुनि राय,

हिन्दी, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़)